न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
31 / 20222 / प्रा.पत्र / 2022	09.05.2022	08.07..2022

डा0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द जेन एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्ष्य ट्रेडर्स बस स्टेण्ड के पास उनियारा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नम्बर 14 रधुनाथजी मन्दिर के पास उनियारा जिला–टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री अशोक कुमार कासलीवाल ण्डवोकेट व स्वय अप्रार्थी

:–निर्णय–: **दिनांक 08.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20–1–2022 को समय 3.21 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण लक्ष्य ट्रेडर्स बस स्टेण्ड के पास उनियारा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री स्व0 रमेश चन्द जैन खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया, तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में घी, तेल, गुड़, शक्कर, मसाले व कन्फेक्नरी खाद्य पदार्थ अलग–अलग ब्रान्ड आदि के साथ **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisin loose)** कागज के एक कार्टून में लगभग 7–8 किलोग्राम हेतु रखा हुआ था, कागज के एक कार्टून में रखे खुले हुए किशकिश का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री सुरेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवा कर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की मे से 1 किलोग्राम किशमिश खरीद कर 250–250 ग्राम के 4 पैक **ड्राई फ्रूट्स किशमिश** विक्रेता. श्री सुरेश कुमार जैन को रू0 240/–अक्षरे दौ सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। खरीदशुदा **किशमिश खुला (Dry Fruits Raisin loose)** 250–250 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1 किलोग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 250 ग्राम) को ज्यो का त्यो कागज के गत्ते के 4 डिब्बो मे बराबर–बराबर भरकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–3035 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–3035 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. आशीष मेहता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/480 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/431/एक्ट/2022/459 दिनांक 17.02.2022 अनुसार सुरेश कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **किशमिश खुला (Dry Fruits Raisin loose)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी **द्वारा अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisin loose)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिषक ने बहस की एंव अपार्थी ने स्वंय भी अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **किशमिश खुला** (Dry Fruits Raisin loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला** (Dry Fruits Raisin loose) का नमूना जांच में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द जेन एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्ष्य ट्रेडर्स बस स्टेण्ड के पास उनियारा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नम्बर 14 रधुनाथजी मन्दिर के पास उनियारा जिला–टोंक राज0 पर शास्ति 30000 (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दि0 8.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0